1213070/ 11-12-2012

पत्र संख्या- फार्म-अनु0 विविध (प्रथम वाल्यूम)डाउनलोडिंग की सुविधा//2012-13// // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: दिसम्बर , 2012

आदेश

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 एवं केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली 1957 के नियम-12 में प्राविधानित प्रपत्र-सी को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या- विधि-4(1) प्रपत्र भाग-3/2011-12/830/1112055 वाणिज्य कर दिनांक 09-09-2011 एवं परिपत्र संख्या- विधि-4(1) अधिनियम/ नियमावली/ 2012-13) 1125/1213064/07-11-12/ वाणिज्य कर दिनांक 07-11-2012 के अन्तर्गत आन लाइन जारी करने हेतु व्यवस्था प्रभावी की गयी है । उक्त अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक सम्व्यवहारी केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं के लिए विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत पासवर्ड प्राप्त करके कर निर्धारण अवधि में सम्पन्न हुए केन्द्रीय सम्व्यवहारों के लिए कर निर्धारण अधिकारी की अनुमति से प्रपत्र- सी डाउन लोड करके इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं किन्तु कतिपय छोटे सम्व्यवहारियों द्वारा कम्प्यूटर की व्यवस्था एवं पासवर्ड की प्राप्ति के अभाव में उक्त व्यवस्था का लाभ नही लिया जा रहा हैं। विभाग में मुद्रित फार्म-सी भी समाप्तप्राय हैं और टेण्डर प्रक्रिया प्रचलित है । इस प्रकार केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित ऐसे सम्व्यवहारियों जो कि उक्त व्यवस्था का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, को विभाग स्तर से कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फार्म- सी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अत: केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1957 (यथा संशोधित) के नियम 8(1) के प्राविंजो में वर्णित उपबन्धों के अधीन विभाग स्तर से कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से प्रपत्र- सी उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न व्यवस्था प्रभावी की जाती है:-

1- इस व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र धारक ऐसे सम्व्यवहारियों को प्रपत्र- सी प्रदान किये जायेंगे जिन्हें विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत इसे डाउनलोड करने हेतु पूर्व में पासवर्ड प्रदत्त नहीं है।

2- पूर्व में प्रपत्र-38 की डाउनलोडिंग हेतु नामित नोडल अधिकारियों जिन्हें यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पूर्व में आवंटित हैं और जिनके डिजीटल सिग्नेचर भी उपलब्ध हैं, के द्वारा उक्त का प्रयोग करते हुए अपनी जोन के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों की मांग पर आवश्यक संख्या में प्रपत्र-सी डाउन लोड किये जायेंगे ।

3- पूर्व में डाउनलोडेड प्रपत्र-38 के लिए हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त डाउनलोडेड प्रपत्र-सी पर अपने हस्ताक्षर किए जायेंगे और मुहर लगायी जायेगी ।

4- नोडल अधिकारियों द्वारा डाउनलोडेड एवं प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित फार्म-सी उक्त दोनों अधिकारियों की अभिरक्षा में डबल लाक में रखे जायेंगे और इन्हें जोन के कर निर्धारण अधिकारियों की मांग पर उक्त अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा और इस सम्बन्ध में प्रपत्र-38 की पंजी के अनुरुप पंजी रखी जायेगी ।

5- कर निर्धारण अधिकारीगण उक्त फार्म- सी पर अपने हस्ताक्षर करते हुए अपनी मुहर लगायेंगे और बिन्दु-1 में वर्णित केन्द्रीय प्रमाण पत्र धारक सम्व्यवहारियों की मांग पर उन्हें नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे ।

यह व्यवस्था दिनांक 31-3-2013 या नये फार्म-सी मुद्रित होने में से जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगी ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर/ मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

3- उभय संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर।

5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया इस व्यवस्था से समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

6- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया प्रपत्र-38 की डानउलोडिंग व्यवस्था में प्रपत्र-38 लिंक हटाकर उसके स्थान पर फार्म-सी लिंक डलवाने की व्यवस्था करें

7- मुख्यालय के फार्म, सचल दल, वि0अनु0शा0, मैनुअल, नई इकाई, जनसूचना, केन्द्रीय सचल दल इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 के0 पाण्डेय)
डिप्टी कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।